

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

S.D.O.

मुकाम

बड़ीसादड़ी

हिरालाल

बनाम

हिरालाल

किस्म मुकद्दमा

128 R.L.Aet

नं.

151/2018

सन्

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए20/6
18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प ~~बनाया~~ पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट का पेश हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बड़ीसादड़ी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा ~~कापी~~ की खाता संख्या 112 की आ. नं. 236, 237, 238, 283, 286, 284, 285 रकबा 0.57, 0.54, 1.07, 0.01, 1.05, 0.24, 0.02 हे. भूमि का पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगर्दी की जावे। इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। कमीशनरी फीस रूपये 1500/- प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे आम सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
रजस्वण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (राज.)



Web Copy - Not Official